कोटा–बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटारोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015& ISO22000:2018 (FSMS) Certified Dairy
रजिस्ट्रेशन संख्या:1875 R GST: 08AABAK2482L1ZE
E-mail: ktamu-rj@nic.in, kotadairy@yahoo.co.in
FSSAI License No.10012013000248
Customer Care/Help Line: 9829891599

सरस

सन्दर्भ: KD/23-24/F.ACCTS/ 19771-80 दिनांक: 23.02.2024

ई–निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा डेयरी उद्योग में अनुभवी निविदादाताओं से जोकि श्रम विभाग, भविष्य निधि विभाग, ई.एस.आई. विभाग एवं जी.एस.टी. इत्यादि मे पंजीकृत हो, से कोटा डेयरी सयंत्र पर विभिन्न कार्यों जैसे दूध पैकिंग, क्रेट वाशिंग, दुग्ध उत्पाद पैकिंग, गोदाम पर एस.एम.पी., पशु आहार, घी टिन ट्रक से खाली कराई एवं भराई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्देशानुसार शिफ्टिंग का कार्य एवं अन्य सामान खाली कराई, भराई का कार्य, बीज ग्रेडिंग व पैकिंग आदि कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन निविदायें, दो भागों में (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा, निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है।

निविदा कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	निविदा शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)	ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये)	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक/समय	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक/समय	निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अतिंम दिनांक/समय	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक/समय
50.00	1180	100000	500	25.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से	03.03.2024 साँय 4.00 बजे तक	04.03.2024 साँय 4.00 बजे तक	05.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे

निविदा की विस्तृत जानकारी http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

निविदा के साथ धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क बजरिये अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि **कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा** के पक्ष मे देय होगा एवं 500 रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि MD RISL, payable at Jaipur के नाम देय होगा, संघ कार्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

किसी भी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अन्य किसी जानकारी के लिए श्री शान्तनु कुमार, 9829184133 से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट:

01 निविदा फार्म मय शर्तों सहित ऑन–लाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा सूचना में दर्शाये अनुसार डाऊनलोड तथा निविदा प्रपत्र को भरकर मय डिमाण्ड ड्राफ्ट वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जा सकता है।

02 निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

(कृ. प. उ.)

कोटा–बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015& ISO22000:2018 (FSMS) Certified Dairy

सरस

03 इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कोटा दुग्ध संघ कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

04 निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जोकि इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आएगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी (NIC or safecrypt का msapplitechtendercity.com (India) Pvt. Ltd.) से प्राप्त कर सकते है जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः

01 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

02 प्रभारी (प्लांट)/प्रभारी (पी एण्ड आई)/प्रभारी (क्रय)/प्रभारी (लेखा)/प्रभारी (गुण नियंत्रण)/प्रभारी (एम.आई.एस.), कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

03 प्रभारी विज्ञापन } को भेज कर लेख है कि निविदा सूचना नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

04 सूचना पट्ट, कोटा कार्यालय

05 कार्यालय पत्रावली/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	:	KD/23-24/F.ACCTS/ दिनांक 24.02.2024
निविदा कार्य का विवरण	:	निविदा सूचना अनुसार कोटा डेयरी संयंत्र पर विभिन्न प्रकार के जॉब वर्क कार्य
निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक / समय	:	25.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से 03.03.2024 साँय 2.00 बजे तक
तकनीकी एवं वित्तीय निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक / समय	:	03.03.2024 साँय 4.00 बजे तक
निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क कार्यालय में जमा कराने की अतिंम दिनांक / समय	:	04.03.2024 साँय 4.00 बजे तक
तकनीकी ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	दिनांक 05.03.2024 को साँय 1.00 बजे
वित्तीय ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	पृथक से अवगत कराया जाएगा

निविदा शुल्क का विवरण	रुपये	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम
निविदा शुल्क	1180			
ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क	500			
धरोहर राशि	1,00,000			

	तकनीकी निविदा के साथ निम्न पत्रादि की प्रतियाँ अपलोड करें:	नम्बर	दिनांक
01	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड		
02	अधिकार पत्र की मूल प्रति		
03	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र (Contract Labour Regulation & Abolishion Act 1970 Form No. 6)		
04	सक्षम विभाग द्वारा जारी वैध फुड लाईसेन्स		
05	पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के पी.एफ. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।		
06	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के ई.एस. आई. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।		
07	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र		
08	आयकर PAN No		
09	शर्त संख्या 3 में वर्णित अनुसार गत दो वर्षों में कम से कम 60 लाख प्रति वर्ष या अधिक अंकित हों तथा आयकर रिर्टन मय कम्प्यूटेशन की प्रति।		
10	बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर की फोटो प्रति (1180+500+1,00,000)		
11	शर्त संख्या 5 में वर्णित अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र		
12	प्रोप्राईटर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड		
13	संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।		
14	हस्ताक्षरित शर्तें		
15	अन्य विवरण		

उपरोक्त समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

घोषणा

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... घोषणा करता हूँ कि मैं तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अधिकृत हूँ, उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सही हैं, मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ/सुन/एवं समझ लिया हैं तथा इनका पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ। तकनीकी निविदा में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर मैं धरोहर राशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर बिना उज्र वापस प्राप्त करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारे फर्म को राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं की गई हैं। यदि निविदा स्वीकृत होने या अनुबन्ध होने के बाद हमारे फर्म को ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो हमारे निविदा/अनुबन्ध तत्काल को निरस्त कर अमानत राशि जब्त करने का अधिकार संघ को होगा।

पूर्ण हस्ताक्षर निविदादाता..

नाम..

पता..

....फोन नम्बर ....

ई–मेल..

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

निविदा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश

यह निविदा प्रपत्र दो भागों तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।

निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रपत्र को डाऊनलोड कर पूर्ण अध्ययन करें एवं तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा में चाही गई जानकारी यथा स्थान पर पूर्ण करें। सम्पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र मय वाँछित दस्तावेज/ड्राफ्ट को स्केन कर निर्धारित साईट पर अपलोड करें।

निविदा सूचना में चाहे गए शुल्क के अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट बन्द लिफाफे में कोटा दुग्ध संघ के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक आवश्यक रूप से जमा करा कर रसीद प्राप्त कर लेवें। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

यदि तकनीकी निविदा में कोई निविदादाता निविदा समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निविदा समिति तत्काल निविदा निरस्त कर उसका बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर लौटा देगी। इसमें पूर्ण अधिकार निविदा समिति का सुरक्षित होगा तथा कोई भी निविदादाता समिति के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकारी नहीं होगा।

निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी। इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट मय निविदा प्रपत्र अपलोड होने की कम्प्यूटर जनरेटेड Bid submission confirmation की प्रति एवं निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त दर्शाई वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ऑनलाईन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी। अगर उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले दिन निश्चित समय पर खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणवश यदि निविदायें खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो निविदादाता को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।

कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकी डिफाल्ट के कारण यदि साईट पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपलोड नहीं हो पाता है या अन्य किसी कारण से बिड अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तों का विवरण भली प्रकार पढ एवं समझ लेना चाहिए तथा नियमों की स्वीकृति स्वरूप शर्तों के प्रत्येक पृष्ट पर अन्त में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एंव फर्म की सील लगानी चाहिए। अन्यथा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा तथा तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। वाँछित दस्तावेजों के अभाव में निविदायें अमान्य होगी। अमानत राशि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी।

संघ के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या राजस्थान के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत करने या अनुबन्ध होने के बाद निविदादाता की ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो निविदा/अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी और कोई भी निविदादा/अनुबन्धकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा।

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

निविदा प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

01 निविदादाता नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ व समझ कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। **पंजीकृत लिमिटेड कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड की प्रति एवं फर्म/समस्त हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।**

02 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिवार्य है कि वह फर्म का मालिक है अथवा अधिकृत प्रतिनिधि है अथवा भागीदार है अथवा प्रबन्धक है, इन समस्त परिस्थितियों में फर्म के मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को पॉवर ऑफ अटोर्नी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

03 निविदादाता फर्म का **assessed turnover कम से कम 60 लाख** रुपये वार्षिक होना चाहिए। इसके लिए निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ फर्म का वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (कर निर्धारण वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) के लिए टैक्स ऑडिट की प्रति एवं अकेक्षित खाते की प्रति अपलोड करनी होगी। उपरोक्त के अभाव में निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

04 मानव श्रम नियोजन से सम्बन्धित कार्यों में एक फर्म को एक से अधिक कार्यों का ठेका नहीं दिया जाएगा। अतः जो फर्में संघ में स्थाई लेबर सप्लाई अथवा सुरक्षा व्यवस्था ठेके में अनुबन्धित है उनकी अथवा उनसे सम्बन्धित फर्मों की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

05 निविदादाता फर्म के पास वर्तमान में ई–निविदा फर्म में दिये गये जॉब कार्य में समान व सम्बन्धित प्रकृति व समकक्ष का कार्य सम्पादित करने का 6 वर्ष का अनुभव एवं बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग व बीज पैकिंग, तुलाई, सिलाई, स्टेकिंग सम्बन्धित कार्य का 6 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इसके लिए निविदादाता को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी जिसकी अभाव में निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

06 निविदा प्रपत्र बाल पाईन्ट पेन से साफ एवं स्पष्ट शब्दों में भरें। कटिंग एवं ओवर राईटिंग पर निविदादाता अपने लघु हस्ताक्षर अंकित करें।

07 **वित्तीय निविदा (BOQ Excel Sheet) में मात्र दर का उल्लेख करना होगा तथा केवल निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा। निविदा दर दिनांक 31.12.2023 को प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दरों को आधार मानकर दी जावें।** न्युनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ठेकेदार को कुशल/अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा घोषित मजदूरी दर के अनुरूप श्रमिकों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

08 दी हुई निविदा छः माह तक वैद्य होगी। निविदा खोले जाने के बाद संघ की सम्पत्ति होगी व निविदादाता का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा व अशुद्धी सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा।

09 **निविदादाता के पास सक्षम विभाग द्वारा जारी वैध फुड लाईसेन्स एवं वर्तमान में किसी भी विभाग में कम से कम 50 लेबर सप्लाई करने का Licence** होना चाहिये तथा कार्यादेश हाने के पश्चात् उसको Contract Labour (Registration and Abolition) Act, 1970 (Contractor) **के तहत कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा के पक्ष में** निर्धारित संख्या में **श्रमिक नियोजन का लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा।**

10 निविदादाता फर्म पी.एफ. अथवा ई.एस.आई. में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके लिए निविदादाता को 50 रुपये के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवा कर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा अन्यथा निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

11 निविदादाता को पूर्ण रूप से भरी हुई तकनीकी निविदा एवं निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार अलग अलग पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम से देय हो निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा तथा मूल निविदाप्रपत्र मय पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट निविदा फर्म में अंकित दिनांक एवं समय तक कार्यालय में जमा कराना होगा। तकनीकी निविदा के साथ वाँछित पे ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट निर्धारित साईट पर अपलोड नहीं होने अथवा मूल प्रति कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के साथ संलग्न ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर संख्या, दिनांक एवं बैंक का नाम निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित करें। संघ में पेन्डिगं बिल, पूर्व क्लेम को अमानत राशि में समायोजन नहीं किया जावेगा।

12 **वित्तीय निविदा में मात्र दर का उल्लेख निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा।**

13 वित्तीय निविदा उसी निविदादाता का खोला जाएगा जो तकनीकी मापदण्डों पर उपयुक्त पाया जाएगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि का ड्राफ्ट तत्काल लौटा दिया जाएगा। निविदा शुल्क एवं ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस देय नहीं होगा।

14 **अमानत राशिः** सफल निविदादाता को रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रुपये मात्र) नगद अमानत राशि जमा करानी होगी जिसमें निविदा के समय जमा धरोहर राशि से समायोजित की जा सकेगी तथा यह राशि सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान संघ में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त **निविदादाता को कार्यादेश से पूर्व चार लाख रुपये की बैंक गारण्टी जोकि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कोटा डेयरी के पक्ष में अनुबन्ध दिनांक से आगे तीस माह के लिए वैद्य हो देनी होगी।**

15 प्रबन्ध संचालक द्वारा निविदायें भागों में भी स्वीकार की जा सकती है।

16 स्वीकृत निविदादाता को मूल दस्तावेज माँगने पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य आदेश मिलने के **सात दिनों में कार्य प्रारम्भ** करना होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहने पर उसकी जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

17 ठेकेदार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि हमेशा निर्धारित कार्यों के सूपरविजन हेतु कार्य समय में कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा पारी प्रभारी/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवायेगा।

18 ठेकेदार की लेबर कार्य समाप्त करने के पश्चात् डेयरी परिसर में नहीं रहेगी/इधर उधर नहीं घूमेंगे अन्यथा ठेकेदार पर आर्थिक शास्ति आरोपित की जावेगी।

19 ठेकेदार अथवा उसकी लेबर द्वारा डेयरी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की हानि पहूँचाने पर हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।

20 **यदि ठेकेदार की लेबर चोरी अथवा अन्य किसी अवाँछनीय कार्य मे लिप्त पाई जाती है तो ठेकेदार को उस लेबर को तत्काल बदलना होगा तथा ऐसी स्थिति में संघ को हुई हानि/चोरी में पकड़े गये माल की रकम के 20 गुणा तक शास्ति आरोपित की जावेगी।**

21 लेबर ठेकेदार अथवा लेबर द्वारा डेयरी परिसर में बीडी/सिगरेट (धूम्रपान) या जर्दा, गुटका आदि का सेवन पूर्णतया वर्जित हैं। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

22 प्रत्येक कार्य के लिए ठेकेदार को न्यूनतम निर्देशित लेबर प्रति घंटा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि न्यूनतम निर्देशित लेबर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तथा कार्य में विलम्ब होता है तो ठेकेदार पर प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से शास्ती आरोपित की जाएगी।

23 सफल निविदादाता को श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान/ई.एस.आई. अंशदान नियमानुसार काट कर स्वयं अपने कोड से सम्बन्धित विभाग में जमा कराना होगा एवं जमा राशि के चालानों की प्रतियाँ प्रति माह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा बिल से 30 प्रतिशत राशि रोक कर भुगतान किया जाएगा।

24 ठेकेदार को मासिक आधार पर कार्य का बिल प्लांट प्रभारी से प्रमाणिकरण करा कर मय निविदा शर्तानुसार वांछित दस्तावेंजो क लेखा शाखा में प्रस्तुत करना होगा। लेखा शाखा द्वारा बाद जांच बिल का भुगतान चैक द्वारा अधिकतम 10 दिवस में पारित किया जावेगा। किसी भी कारणवश बिल पारित करने में विलम्ब होता है तो विलम्ब के लिए संघ द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान या ब्याज देय होगा।

25 **ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये जाने वाले प्रत्येक कार्मिक/श्रमिक की बैंक अकाऊन्ट खुलवाना होगा तथा कार्मिक/श्रमिकों को प्रति माह 7 तारीख से पूर्व बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।**

26 ठेकेदार को कार्य पर लगायी गई लेबर को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म एवं फोटो लगा पहचान पत्र स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा। लेबर को संघ डेयरी प्लांट में प्रवेश यूनिफार्म में एवं पहचान पत्र होने पर ही दिया जाएगा। ठेकेदार/उसका प्रतिनिधि प्रति दिन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लेबर साफ, धुली हुई यूनिफार्म में है एवं लेबर का व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं कार्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011, विनियम 2011 के प्रावधान अनुसार है। **बाल श्रमिक नियोजित नहीं किये जावेंगे।**

27 कोल्ड स्टोर में ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिकों के लिए गम बूट संघ द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा या प्रबन्धन से चर्चा कर ठेकेदार अपने स्तर पर गम बूट क्रय कर कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा एवं राशि के पुर्नभरण हेतु बिल संघ में प्रस्तुत करेगा जिसका प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

28 ठेकेदार भविष्य निधि अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम, शॉप एवं कार्मशियल एक्ट अधिनियम, न्यूनतम भुगतान अधिनियम एवं सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों की पालना करने, समायानुसार रिर्टन भरने एवं निरीक्षण कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। संघ का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार को अन्तिम बिल एवं उसकी जमा अमानत राशि का भुगतान उक्त अधिनियमों के तहत क्लीन निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

29 किसी भी समय अतिरिक्त श्रमिकों की माँग किये जाने पर ठेकेदार को तुरन्त (अधिकतम 2 घण्टे में) श्रमिकों की व्यवस्था कर निर्धारित समय पर कार्य सम्पन्न करना होगा। अन्यथा ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर संघ द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था की जा कर अतिरिक्त लागत एवं कार्य में नुकसान होने से संघ को होने वाली हानी की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

30 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक (अवयस्क व्यक्ति) अवांछनीय व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।

31 ठेकेदार द्वारा नियोजित लेबर द्वारा संघ के अधिकारियों/सूपरवाईजर/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। लेबर द्वारा निर्देशों का पालन न करने/अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने/संघ सम्पत्ती की चोरी अथवा नुकसान पहूँचाने पर उक्त लेबर को कार्य से हटा कर गैट से बाहर कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार को तुरन्त उस व्यक्ति के स्थान पर अन्य लेबर उपलब्ध कराना होगा। संघ को हुई हानी की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

32 निविदा में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त परिस्थितिजन्य उत्पन्न अन्य कार्य जो निर्देशित हो, ठेकेदार/लेबर को करने होंगे, जिसके लिए संघ द्वारा वाजिब भुगतान ठेकेदार को किया जावेगा।

33 निविदा में न्यूनतम दर होने से ही कोई निविदादाता ठेका आवंटन का अधिकारी नहीं होगा। अन्तिम निर्णय निविदादाता की पृष्ठ भूमि, अनुभव, पंजीयन आदि आधार पर किया जावेगा जिसके लिए संघ प्रशासन निविदादाता को जवाब देय नहीं होगा। संघ को नेगोशियेशन करने का भी अधिकार होगा।

34 **मूलतः ठेका एक वर्ष के लिए आवंटित किया जावेगा जो दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा इन्हीं शर्तों एवं दरों पर आगामी 1 वर्ष तक और बढाया जा सकेगा।** इस सम्बन्ध में **प्रबन्ध संचालक** का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। ठेकेदार इस सम्बन्ध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।

35 राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि किये जाने पर संघ द्वारा स्वीकृत दरों में आनुपातिक वृद्धि की जावेगी जिसकी गणना न्यूनतम दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उतनी प्रतिशत स्वीकृत दर में जोडा जाएगा एवं इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

36 समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

37 निविदादाता के पास जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जो उसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना चाहिए। निविदादाता को प्रत्येक माह जी.एस.टी. जमा करवा के चालान बिल के साथ सलंग्न करना होगा तभी जी.एस.टी. का भुगतान देय होगा।

38 स्त्रोत पर आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं निर्धारित प्रमाण पत्र ठेकेदार को उपलब्ध कराया जावेगा।

39 ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोडकर नहीं जा सकता है। यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोड़कर जाता है तो संघ स्वीकृत निविदादाता के खर्चे/जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत तथा अनुबन्ध भंग की शास्ती जो प्रबन्ध संचालक द्वारा निर्धारित की जावेगी, की वसूली ठेकेदार के बिल एवं चल अचल सम्पत्ति से की जावेगी एवं धरोहर राशि जब्त करी जावेगी।

40 दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर प्रशासक या अध्यक्ष, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटा का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

41 सफल निविदादाता को दुग्ध संघ का "स" श्रेणी का सदस्य बनना होगा।

42 संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वयं, पत्नि, आश्रित पुत्र एवं पुत्र वधु) निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

43 निविदाकर्ता नाबालिग, सरकारी/अर्द्धसरकाकरी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अयोग्य व ब्लैक लिस्टड घोषित नहीं होना चाहिए। निविदादाता न्यायालय से घोषित अपराधी/दीवालिया करार नहीं होना चाहिए।

44 लेबर प्रति दिन बदली नहीं जावेगी एवं ठेकेदार अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों को नियोजित नहीं करेगा।

45 ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रत्येक पारी में प्रति दिन कार्य से सम्बन्धित प्रभारी को उपस्थिती दे कर कार्य समय पर सम्पादित कराना होगा।

46 ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक की वजह से कम बजन की थैली/पैक, लीकेज थैली/पैक, गन्दी क्रेटस बाजार में जाने से या पैकिगं से सम्बन्धित अन्य कोई त्रूटी के कारण संस्था की साख खराब होती है तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

47 लेबर आने व जाने की प्रति दिन गैट एन्ट्री के बाद ही आ जा सकेगी।

48 प्रतिदिन ठेकेदार को प्रभारी से प्रत्येक कार्य का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर करा कर बिल के साथ संलग्न करना होगा।

49 वह निविदादाता जो वर्तमान में किसी भी प्राईवेट प्रतिस्पर्धी ब्रांड के सयंत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहा हो वह इस निविदा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

50 निविदादाता जो वर्तमान में संघ में सिटी सप्लाई परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिक आपूर्ती ठेका, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समितियों से केन दुग्ध परिवहन, सरस दुग्ध उत्पादों के वितरक, घी भण्डारण हेतु गोदाम तथा पशु आहार स्टोर पर किसी भी कार्य अनुबंध के अन्तर्गत कार्य कर रहे वे किसी प्रकार की जॉब वर्क की निविदा भरने के लिए पात्र नहीं होगा। (निविदादाता को अपने लैटर हैड पर उक्तानुसार अण्डरटेकिंग अपलोड करनी होगी)।

51 इस निविदा में उन निविदादाताओं को जिनके प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर एक हों/आपस में रक्त सम्बन्धी हों (सिर्फ आश्रितों के लिये लागू)/आपस में वित्तीय सम्बन्ध हों या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध हो, तो वे सभी फर्मे एक ही मानी जावेगी।

52 व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबन्ध अवधि से पूर्व ठेका/अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा।

53 अनुबन्ध की अवधि अनुबन्धित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तो को नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28600–30 दिनांक 27.12.2011 में निम्न प्रावधान अनुसार होगी:–

a	Where the amount or value set-forth in such contract does not exceed Rs. 10.00 lacs	Rs. 500.00
b	Where it exceeds Rs. 10 lacs but does not exeed Rs. 50.00 lacs	Rs. 1000.00
c	Where it exceeds Rs. 50.00 lacs	Rs. 5000.00

54 अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक माह के बिल के साथ अनुबन्धकर्ता के लेटर पैड पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके द्वारा उसके सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुपालना करते हुए भुगतान कर दिया गया है तथा नियमानुसार ईएसआई/पीएफ एवं अन्य राशियाँ सम्बन्धित अनुभाग में जमा करवा दी गई है। शपथ–पत्र का प्रारूप कार्यादेश के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा।

55 उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए सर्वोपरी एवं अति–आवश्यक समस्त श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि कपडे, बाल, हाथ, आचरण आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी। कार्यस्थल पर उत्पादन आरम्भ होने से पूर्व एवं बाद की स्वच्छता तथा कार्य के दौरान स्वच्छता रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के 15 दिवस में अपने श्रमिकों को यूनिफॉर्म मय एप्रेन के उपलब्ध करवानी होगी एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका प्रत्येक श्रमिक स्वच्छ यूनिफार्म में डेयरी परिसर में उपस्थित होंगे। निश्चित दिनांक के पश्चात् कर्मकारों के निर्धारित वर्दी में न होने पर रुपये 100.00 प्रतिदिन प्रति श्रमिक की शास्ती लगाई जा सकती है। श्रमिकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली यूनिफॉर्म का रंग एवं प्रकार प्रशासन के द्वारा निश्चित की जावेगी।

56 ठेकेदार को आई.एस.ओ. 22000 के सिद्वान्तों के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों का प्रत्येक छः माह में (एक बार) स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। किसी भी श्रमिक के अस्वस्थ होने या उनकी सेवायें प्रबन्धन की सन्तुष्टि के स्तर की नहीं होने पर प्रबन्धन के निर्देशानुसार श्रमिक को हटा कर दूसरे श्रमिक उपलब्ध करवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

57 अनुबन्धकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिए रुपये 5.00 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुघर्टना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

58 ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मकार का नाम/पिता का नाम/आयु/ स्थायी पता/शैक्षणिक योग्यता परिचय पत्र तैयार कर प्रबन्धन को उपलब्ध कराना होगा तथा अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार द्वारा अंशकालिक ठेके की पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त किये जाने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित ठेकेदार उत्तरदायी होगा। कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिवस में कर्मकारों के पास परिचय पत्र न होने की स्थिति में शास्ति लगाई जा सकती है।

59 श्रमिक ठेकेदार कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेज्यूलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट 1970 के प्रावधानों के अनुसार सभी शर्तों व नियमों का पालन करेगा व ऐसा नहीं पाये जाने की शिकायत के लिए वह सीधा जिम्मेदार होगा। पंजीकृत प्रमाण पत्र को समय पर नवीनीकरण कराने व पंजीकृत निर्धारित संख्या सीमा तक रखने के लिए तथा इस कानून के प्रावधानों के लिए अनुबन्धकर्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

60 अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि वाँछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वाँछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नही दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वाँछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

61 बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधान अनुसार ठेकेदार को न्यूनतम बोनस प्रत्येक श्रमिक को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

62 दुग्ध संघ औद्योगिक संस्था है, अतः संघ के नित प्रतिदिन, सेवा प्रदाता कार्यों के संचालन हेतु अनुबन्धकर्ता का संघ परिसर में उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण निविदादाता का राजस्थान राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। इससे की संघ को कार्य निष्पादन में बाधा नहीं आवें।

63 संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रबन्ध संचालक

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

निविदा के विशेष अनुदेश एवं शर्ते

दूध पैकिंग, क्रेट वाशिंग, दुग्ध उत्पाद पैकिंग एवं निर्देशानुसानर समस्त पैक पर बैच/दिनांक आदि की प्रिन्टिंग, गोदाम पर पशु आहार की बोरियाँ ट्रकों से खाली करना व चढाने का कार्य, गोदाम पर दुग्ध पाउडर बेग ट्रक से खाली करना एवं गोदाम से प्लांट तक पहूँचाने का कार्य एवं अन्य सामान खाली कराई, भराई आदि कार्य।

01 दूध पैकिंग व क्रेट्स को कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग एवं सप्लाई हेतु डॉक तक पहूँचाने सम्बन्धित कार्य (दर प्रति लीटर):

01.1 दरें प्रति लीटर दूध देनी होगी।

01.2 इस कार्य में खाली क्रेट्स को पेकिंग मशीन तक ले जाना, पैकिंग करना, क्रेट्स में दूध की थैलियाँ निर्धारित मात्रा में भरना, कोल्ड स्टोर में क्रेट्स ले जाकर जमाना, कोल्ड स्टोर से डिस्पेच डॉक तक दुग्ध सप्लाई निकालना, पैकिंग रोल को स्टोर से निकाल कर मशीन तक लाना, खाली कोन निर्धारित स्थान पर रखना, मशीन की सफाई, पैकिंग स्थान की सफाई, कोल्ड स्टोर एवं डिस्पेच डॉक की सफाई, कोल्ड स्टोर में बचे दूध की थैलियाँ/लीकेज थैलियाँ छाँटना एवं फाड कर दूध निकालना, फटी थैलियाँ निर्दिष्ट स्थान तक फेंकना एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्य शामिल है।

01.3 वर्तमान में लगभग प्रति दिन 70,000 लीटर दूध 6000 क्रेट्स में भर कर सप्लाई किया जा रहा है जिसमें समयानुसार कमी/वृद्धी हो सकती है।

01.4 किसी कारणवश कार्य प्रारम्भ होने या कार्य के दौरान किसी प्रकार से कार्य में बाधा उत्पन्न होने से कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होता है तो निविदादाता को कार्य को पूर्ण कराना ही होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

01.5 ठेकेदार का दायित्व होगा कि पैकिंग कार्य भली प्रकार हो एवं थैलियों में दूध वजन अनुसार पैक हों। इस हेतु ठेकेदार को निर्देशानुसार पैकिंग के दौरान समय समय पर थैलियों का वजन कर जाँच करके सम्बन्धित सूपरवाईजर को सूचना देनी होगी। कम वजन की थैलियाँ क्रेटों में पाई जाने पर प्रति क्रेट्स रुपये 500/– की शास्ती ओरोपित की जावेगी।

01.6 कोल्ड स्टोर, प्रीपेक मशीन, प्रीपेक स्थान, पाईप लाईन, डिस्पेच डॉक एवं सम्बन्धित मशीनों की पूर्ण सफाई निर्देशानुसार करनी होगी। कार्य में लापरवाही करने पर अधिकतम 500/– रुपये प्रति दिन के हिसाब से शास्ती आरोपित की जाएगी।

01.7 दूध वापस आने पर रिर्टन दूध/लीकेज थैली को डॉक से निर्दिष्ट स्थान पर लाकर फाड कर पोलीथीन की सफाई कर लाईनर में भर कर निर्दिष्ट स्थान तक पहूँचाना होगा। इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

01.8 लीकेज थैली को हाथों हाथ ही निकाला जावेगा। कोल्ड स्टोर में लीकेज की मात्रा अधिक पाई जाने पर ठेकेदार लापरवाही का दोषी माना जावेगा एवं प्रबन्ध संचालक द्वारा विवेकानुसार आर्थिक शास्ति लगाई जावेगी साथ ही थैली लीकेज होने से संघ को हुई पैकिगं फिल्म की हानी की वसूली प्रचलित पैकिगं फिल्म की क्रय मूल्य दर से की जाएगी। लीकेज की निर्धारण सामयिक प्रक्रिया अनुसार बनाये जाने वाले मासिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

01.9 कोल्ड स्टोर में लीकेज नहीं छटने के कारण सप्लाई से दूध पाउच लीक होने के कारण वापस आने से संघ को हुई हानी (दूध की कीमत + पोलीथीन + प्रोसेसिंग चार्जेज) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

01.10 ठेकेदार की लेबर प्रति दिन पैकिंग का कार्य प्रारम्भ होने से आधा घण्टा पूर्व आकर पाईप लाईन, प्रीपैक, कोल्ड स्टोर, सम्पूर्ण कार्य स्थल निर्देशानुसार सफाई करनी होगी एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त कार्य करने होंगे।

01.11 वर्तमान में कोटा डेयरी प्लांट में 12 दुग्ध पैकिंग मशीन है। इस कार्य हेतु दुग्ध पैकिंग मशीन के प्रत्येक हेड पर 1 श्रमिक के हिसाब से 12 श्रमिक प्रति पारी उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा 6 लीटर पैकिंग की एक पैकिंग मशीन है जिसमें कार्य करने के लिए 2 श्रमिक प्रति पारी उपलब्ध कराने होंगे।

01.12 दुग्ध पैकिंग के दौरान मशीनों से लीकेज थौलियों व कोल्ड स्टोर में छाटी हुई लीकेज थैली को प्रोसेस डम्प टैंक में ले जा कर फाडना व निर्धारित स्थान पर डालने के लिए 3 श्रमिक प्रति पारी उपलब्ध कराने होंगे।

01.13 पैकड दूध को कोल्ड स्टोर में कन्वेयर चेन से उतारने व लाईनवार स्टेगिंग करने के लिए प्रति पारी 4 श्रमिकों को उपलब्ध कराने होंगे।

01.14 कोल्ड स्टोर में पैक किये हुए दूध को एक घण्टे बाद छाट कर ठण्डे पानी से थैलियों को धोकर वापस क्रेटों में भरने के लिए प्रति पारी 3 श्रमिकों को उपलब्ध कराने होंगे।

01.15 कोल्ड स्टोर में पैक किये हुए दूध की क्रेटों को लोडिंग के लिए बाहर निकालने के लिए दिन की पारी में तीन व रात्री पारी में 4 श्रमिक कुल 7 श्रमिक प्रति दिन उपलब्ध कराने होंगे।

01.16 चूँकि प्रत्येक पारी में 5 तरह का किस्म का दूध 200 मि.ली., 500 मि.ली., 1000 मि.ली. व 6000 मि.ली. पैक में पैक किया जाता है। अतः इस कार्य के लिए कुशल श्रमिक ही उपलब्ध कराने होंगे।

02 खाली क्रेट वाशिंग एवं स्टैकिंग सम्बन्धित कार्य (दर प्रति क्रेट) लगभग 60,000 क्रेट्स

02.1 इस कार्य में सिटी सप्लाई/प्रोडक्ट सप्लाई वाहन द्वारा आने वाले खाली क्रेट्स को तत्काल वाहन से उतारना, डॉक से सफाई करने के स्थान तक ले जाना, क्रेट वाशर तक पहूँचाना, क्रेट्स की क्रेट वाशर से/मेनुअल धुलाई, स्टेकिंग, निर्देशानुसार क्रेट वाशर की सफाई एवं गन्दे पानी को समय समय पर बदलना एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्य शामिल है। इस कार्य हेतु प्रति पारी 8 श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।

02.2 क्रेट्स की सफाई एवं स्टोरिंग का कार्य प्रति दिन निर्देशानुसार करना होगा। क्रेटें गंदी पाई जाने पर अधिकतम 10/– रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से शास्ती आरोपित की जाएगी।

02.3 गैट इन्द्राज के अनुसार दूध सप्लाई एवं प्रोडक्ट सप्लाई की क्रेटों के आधार पर खाली क्रेटों की गणना की जाएगी और उसी अनुसार बिल प्रमाणन किया जाएगा।

03 कोटा डेयरी परिसर में घी, दुग्ध पाउडर, बीज एवं अन्य सामान लोडिगं/अनलोडिगं/शिफ्टिगं/स्टेकिंग सम्बन्धित कार्य

संघ में/संघ से समय–समय पर प्राप्त/भेजे जाने वाले एस.एम.पी. (25 किलो बोरी) व अन्य स्टॉक जैसे पैकिगं मेटीरियल (फिल्म लगभग 20 किलो), घी (15 लीटर, 5 लीटर टिन व 10 लीटर सी.एफ.सी. कार्टून), दुग्ध क्रेट्स/केन, बीज आदि प्राप्त होने एवं भेजने हेतु सम्बन्धित वाहन आने पर एक घ्रण्टे के अन्दर निर्धारित स्थान पर/स्थान से निर्देशानुसार अनलोडिगं/लोडिगं/स्टेकिंग करना होगा। डेयरी परिसर/ट्रेनिगं सेन्टर पर स्थित एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान शिफ्ट करने के लिए दर अलग से देनी होगी, जिस के लिए लोडिगं वाहन की आवश्यकता पडने पर स्वयं के खर्चे पर ठेकेदार को उसकी व्यवस्था कर कार्य सम्पन्न करना होगा। उपरोक्त दरें निविदा फार्म में दर्शाये गये कॉलम में पृथक–पृथक भरनी होगी। समय पर लोडिगं/अनलोडिगं/शिफ्टिगं की व्यवस्था नहीं होने पर संघ द्वारा उक्त कार्य अपने स्तर पर करवा कर इसमें हुए खर्चो का दुगुना ठेकेदार से वसूली योग्य होगा व/अथवा रूपये 100/– प्रति घण्टा शास्ति आरोपित की जावेगी।

04 छाछ/लस्सी/दही पैकिंग एवं ट्रे/सी.एफ.सी. में जमा कर कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग करने सम्बन्धित कार्य (दर प्रति पैकट/कप):

04.1 **दरें प्रति पैकट/कप छाछ/लस्सी/दही देनी होगी।**

04.2 इस कार्य में खाली क्रेट्स को पेकिंग मशीन तक ले जाना, पैकिंग करना, क्रेट्स में छाछ/लस्सी/दही की थैलियाँ निर्धारित मात्रा में भरना, कोल्ड स्टोर में क्रेट्स ले जाकर जमाना, पैकिंग रोल को स्टोर से निकाल कर मशीन तक लाना, खाली कोन निर्धारित स्थान पर रखना, मशीन की सफाई, पैकिंग स्थान की सफाई, कोल्ड स्टोर एवं डिस्पेच डॉक की सफाई, कोल्ड स्टोर में बचे छाछ/लस्सी/दही की लीकेज थैलियाँ/कप छाँटना एवं फाड कर छाछ/लस्सी/दही निकालना, फटी थैलियाँ/कप निर्दिष्ट स्थान तक फेंकना एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्य शामिल है।

दही की कप में पैकिंग हेतु आवश्यक पैकिंग मेटीरियल स्टोर से लाकर मशीन में पैक करना, ट्रे एवं क्रेट में जमाना, इन्क्युबेटर में रखना, फिर कोल्ड स्टोर में रखना होगा।

04.3 वर्तमान में लगभग प्रति दिन 9000 पैकट्स छाछ/लस्सी एवं 1500 कप दही क्रैट्स में जमा कर कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग किया जा रहा है, जिसमें समयानुसार कमी/वृद्धी हो सकती है।

04.4 किसी कारणवश कार्य प्रारम्भ होने या कार्य के दौरान किसी प्रकार से कार्य में बाधा उत्पन्न होने से कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होता है तो निविदादाता को कार्य को पूर्ण कराना ही होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

04.5 ठेकेदार का दायित्व होगा कि पैकिंग कार्य भली प्रकार हो एवं थैलियों में छाछ/लस्सी/दही के वजन अनुसार पैक हों। इस हेतु ठेकेदार को निर्देशानुसार पैकिंग के दौरान समय समय पर थैलियों का वजन कर जाँच करके सम्बन्धित सूपरवाईजर को सूचना देनी होगी। कम वजन की थैलियाँ क्रेटों में पाई जाने पर प्रति क्रेट्स रुपये 500/– की शास्ती ओरोपित की जावेगी।

04.6 कोल्ड स्टोर, प्रीपेक मशीन, प्रीपेक स्थान, पाईप लाईन, डिस्पेच डॉक एवं सम्बन्धित मशीनों की पूर्ण सफाई निर्देशानुसार करनी होगी। कार्य में लापरवाही करने पर अधिकतम 500/– रुपये प्रति दिन के हिसाब से शास्ती आरोपित की जाएगी।

04.7 छाछ/लस्सी/दही वापस आने पर रिर्टन छाछ/लस्सी/दही की लीकेज थैली/कप को डॉक से निर्दिष्ट स्थान पर लाकर फाड कर पोलीथीन की सफाई कर लाईनर में भर कर निर्दिष्ट स्थान तक पहूँचाना होगा। इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

04.8 लीकेज थैली/कप को हाथों हाथ ही निकाला जावेगा। कोल्ड स्टोर में लीकेज की मात्रा अधिक पाई जाने पर ठेकेदार लापरवाही का दोषी माना जावेगा एवं प्रबन्ध संचालक द्वारा विवेकानुसार आर्थिक शास्ति लगाई जावेगी साथ ही थैली/कप लीकेज होने से संघ को हुई पैकिगं फिल्म की हानी की वसूली प्रचलित पैकिगं फिल्म की क्रय मूल्य दर से की जाएगी। लीकेज की निर्धारण सामयिक प्रक्रिया अनुसार बनाये जाने वाले मासिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

04.9 कोल्ड स्टोर में लीकेज नहीं छटने के कारण सप्लाई से छाछ/लस्सी/दही पाउच/कप लीक होने के कारण वापस आने से संघ को हुई हानी (छाछ/लस्सी/दही की कीमत + पैकिंग मेटीरियल + प्रोसेसिंग चार्जेज) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

04.10 ठेकेदार की लेबर प्रति दिन पैकिंग का कार्य प्रारम्भ होने से आधा घण्टा पूर्व आकर पाईप लाईन, पैकिंग मशीन, कोल्ड स्टोर, सम्पूर्ण कार्य स्थल निर्देशानुसार सफाई करनी होगी एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त कार्य करने होंगे।

04.11 इस कार्य के लिए कम से कम 8 श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।

05 श्रीखण्ड/पनीर/मावा पैकिंग कर ट्रे/सी.एफ.सी. में जमा कर कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग करने सम्बन्धित कार्य (दर प्रति कप/पैकट):

05.1 दरें प्रति कप/पैकेट श्रीखण्ड/पनीर/मावा देनी होगी।

05.2 इस कार्य में खाली क्रेट्स को पेकिंग मशीन तक ले जाना, पैकिंग करना, क्रेट्स में श्रीखण्ड/पनीर/मावा की थैलियाँ निर्धारित मात्रा में भरना, कोल्ड स्टोर में क्रेट्स ले जाकर जमाना, पैकिंग रोल को स्टोर से निकाल कर मशीन तक लाना, खाली कोन निर्धारित स्थान पर रखना, मशीन की सफाई, पैकिंग स्थान की सफाई, कोल्ड स्टोर एवं डिस्पेच डॉक की सफाई, कोल्ड स्टोर में बचे श्रीखण्ड/पनीर/मावा की थैलियाँ/लीकेज थैलियाँ छाँटना एवं फाड कर श्रीखण्ड/पनीर/मावा निकालना, फटी थैलियाँ निर्दिष्ट स्थान तक फेंकना एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्य शामिल है।

05.3 वर्तमान में लगभग प्रति दिन 1000 कप श्रीखण्ड 1000 पैकट पनीर तथा मावा 100 किलो सी.फ.सी. /क्रेट में जमा कर कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग किया जा रहा है जिसमें समयानुसार कमी/वृद्धी हो सकती है।

05.4 किसी कारणवश कार्य प्रारम्भ होने या कार्य के दौरान किसी प्रकार से कार्य में बाधा उत्पन्न होने से कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होता है तो निविदादाता को कार्य को पूर्ण कराना ही होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

05.5 ठेकेदार का दांयित्व होगा कि पैकिंग कार्य भली प्रकार हो एवं थैलियों में श्रीखण्ड/पनीर/मावा के वजन अनुसार पैक हों। इस हेतु ठेकेदार को निर्देशानुसार पैकिंग के दौरान समय समय पर थैलियों का वजन कर जाँच करके सम्बन्धित सूपरवाईजर को सूचना देनी होगी। कम वजन की थैलियाँ क्रेटों में पाई जाने पर प्रति क्रेट्स रुपये 500/– की शास्ती ओरोपित की जावेगी।

05.6 कोल्ड स्टोर, प्रीपेक मशीन, प्रीपेक स्थान, पाईप लाईन, डिस्पेच डॉक एवं सम्बन्धित मशीनों की पूर्ण सफाई निर्देशानुसार करनी होगी। कार्य में लापरवाही करने पर अधिकतम 500/– रुपये प्रति दिन के हिसाब से शास्ती आरोपित की जाएगी।

05.7 श्रीखण्ड/पनीर/मावा वापस आने पर रिर्टन श्रीखण्ड/पनीर/मावा/लीकेज थैली को डॉक से निर्दिष्ट स्थान पर लाकर फाड कर पोलीथीन की सफाई कर लाईनर में भर कर निर्दिष्ट स्थान तक पहूँचाना होगा। इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

05.8 लीकेज थैली को हाथों हाथ ही निकाला जावेगा। कोल्ड स्टोर में लीकेज की मात्रा अधिक पाई जाने पर ठेकेदार लापरवाही का दोषी माना जावेगा एवं प्रबन्ध संचालक द्वारा विवेकानुसार आर्थिक शास्ति लगाई जावेगी साथ ही थैली लीकेज होने से संघ को हुई पैकिगं फिल्म की हानी की वसूली प्रचलित पैकिगं फिल्म की क्रय मूल्य दर से की जाएगी। लीकेज की निर्धारण सामयिक प्रक्रिया अनुसार बनाये जाने वाले मासिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

05.9 कोल्ड स्टोर में लीकेज नहीं छटने के कारण सप्लाई से श्रीखण्ड/पनीर/मावा पाउच लीक होने के कारण वापस आने से संघ को हुई हानी (श्रीखण्ड/पनीर/मावा की कीमत + पोलीथीन + प्रोसेसिंग चार्जेज) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

05.10 ठेकेदार की लेबर प्रति दिन पैकिंग का कार्य प्रारम्भ होने से आधा घण्टा पूर्व आकर पाईप लाईन, प्रीपैक, कोल्ड स्टोर, सम्पूर्ण कार्य स्थल निर्देशानुसार सफाई करनी होगी एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त कार्य करने होंगे।

05.11 इस कार्य के लिए कम से कम 4 श्रमिक श्रीखण्ड से सम्बन्धित कार्य, 4 श्रमिक पनीर एवं मावा के लिए उपलब्ध कराना होगा।

06 बीज की विभिन्न साईज की थैलियों की ग्रेडिंग एवं पैकिंग का कार्यः

06.1 दर प्रति किलो देनी होगी। जिसमें अधिकतम 1 किलो तक की थैली की पैकिंग, 1 किलो से अधिक परन्तु अधिकतम 3 किलो तक की थैली की पैकिंग, 3 किलो से अधिक परन्तु अधिकतम 10 किलो तक की थैली की पैकिंग तथा 10 किलो से अधिक परन्तु अधिकतम 30 किलो तक की थैली की पैकिंग तथा 30 किलो से अधिक परन्तु अधिकतम 80 किलो तक की थैली की पैकिंग करनी होगी।

06.2 इस कार्य में निर्देशानुसार बताये गये बीज को निर्धारित स्थान से मशीन तक लाना, बीज की ग्रेडिंग, बीज को विभिन्न थैलियो मे भरना, थैलियो मे पेम्पलेट डालना, थैलियो की सिलाई करना, तुलाई करना, टैग लगाना, बेच नम्बर लगाना एवं सील लगाना, निर्देशानुसार पैक की गयी थैलियो को बोरियो मे भरकर सिलाई करना, स्टेकिंग करना, निर्धारित स्थान पर स्टेकिंग करना, मशीन एवं परिसर की सफाई आदि समस्त सम्बन्धित कार्य सम्मिलित होगा।

नोटः उपरोक्त समस्त पैकिंग कार्य हेतु आवश्यक पैकिंग मेटीरियल स्टोर/गोडाउन से पैकिंग स्थल तक लाना होगा साथ ही पैकिंग कार्य के सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्य जो उपरोक्त में वर्णित नहीं है, निर्देशानुसार करना होगा।

प्रबन्ध संचालक

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in
सरस

Item Rate BoQ

Validate Print Help

Tender Inviting Authority: KOTA ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SAMITI LTD.					
Name of Work: Tender for various job work as per the tender notice					
Contract No: KD/23-24//F.ACCTS/					
Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :					
PRICE SCHEDULE					
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)					
Sl. No.	**Item Description**	**Units**	**UNIT RATE In Figures excluding GST (To be entered by the Bidder)**	**TOTAL AMOUNT**	
			Rs. P	**In Words**	
1	**2**	**5**	**13**	**55**	
1	दूध पैकिंग व क्रेट्स को कोल्ड स्टोर में स्टेकिंग एवं सप्लाई हेतु डॉक तक पहूँचाने सम्बन्धित कार्य	दर प्रति लीटर			
2	खाली क्रेट वाशिंग एवं स्टैकिंग सम्बन्धित कार्य	दर प्रति क्रेट			
3.1	कोटा डेयरी परिसर में घी, एस.एम.पी. पशु आहार, बीज एवं अन्य लोडिंग/अनलोडिंग कार्य	दर प्रति टन			
3.2	कोटा डेयरी परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक/एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक सामान (घी/पाउडर/अन्य सामान आदि) शिफ्टिंग का कार्य मय वाहन उपयोग सहित	दर प्रति टन			
4	छाछ/लस्सी/दही पैकिंग आदि कार्य	दर प्रति पैकट/कप			
5	श्रीखण्ड पैकिंग आदि कार्य	दर प्रति कप			
6	पनीर 200 ग्राम पैक पैकिंग आदि कार्य	दर प्रति पैकट			
7	पनीर 500 ग्राम पैक पैकिंग आदि कार्य	दर प्रति पैकट			
8	पनीर 1000 ग्राम पैक पैकिंग आदि कार्य	दर प्रति पैकट			
9	मावा पैकिंग आदि कार्य	प्रति किलो			
10	बीज ग्रेडिंग/विभिन्न साईज में पैकिंग/स्टेकिंग सम्बन्धित कार्य	दर प्रति किलो			
Total in Figures					
Quoted Rate in Words					